रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012023-242131
CG-DL-E-20012023-242131

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2023/पौष 30, 1944
No. 32] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2023/PAUSHA 30, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 33(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कतिपय नियमों का प्रारूप, अर्थात खाद्य सुरक्षा और मानक (पहला संशोधन) नियम, 2020, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, अधिसूचना सा.का.नि. सं. 535(अ), तारीख 27 अगस्त, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे; और राजपत्र की प्रतियां जनता को 27 अगस्त, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं; और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है; अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पहला संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2.1 में,--

(1) “अभिहित अधिकारी” से संबंधित उपनियम 2.1.2 में,--

(क) अर्हता से संबंधित खंड (1) में,--

(i) उपखंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(i) अभिहित अधिकारी, एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा, जो उपखंड अधिकारी या समतुल्य की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का अधिकारी नहीं होगा और उसके पास इन नियमों के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं में से कम से कम एक शैक्षिक अर्हता या एक विषय के रूप में रसायन शास्त्र के साथ विज्ञान में कम से कम स्नातक या स्नातकोत्तर या डाक्टरेट की उपाधि होगी या जिसके पास खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होगा या जिसके पास खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य निरीक्षक के रूप में कम से कम सात वर्ष का संयुक्त अनुभव होगा, जिसमें से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव होगा:

परंतु खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उस क्षेत्र के उपखंड अधिकारी को, उतनी अवधि के लिए, जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अभिहित अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार प्रदत्त कर सकेगा:

परंतु यह और कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी को राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार की अधिकारिता के बाहर क्षेत्र के लिए अभिहित अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दे सकेगी ।”

(ii) उपखंड (1क) का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपखंड (ii) के परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपखंड (iii) में, मद (क) में, “स्थानीय प्राधिकरण” शब्द के स्थान पर “या इन नियमों के अधीन विहित अर्हता रखने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त या स्थानीय प्राधिकरण” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) शक्तियां और कर्तव्य से संबंधित खंड (2) में उपखंड (iiक) का लोप किया जाएगा ;

(2) “खाद्य सुरक्षा अधिकारी” से संबंधित उपनियम 2.1.3 में,--

(क) अर्हता से संबंधित खंड (1) में,--

(i) उपखंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव-रसायन विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान या रसायन विज्ञान या मेडिसिन में स्नातक या मास्टर या डाक्टरेट डिग्री, या”

(ii) उपखंड (ii) में “केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित” शब्दों के स्थान पर, “केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) शक्तियां और कर्तव्य से संबंधित खंड (4) में, उपखंड (iii) की, मद (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(घघ) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में लेबलिंग, विज्ञापन और दावों की अपेक्षानुसार विश्लेषण के लिए भेजे जाने वाले किसी खाद्य पदार्थ के लेबल की संपरीक्षा करेगा और गैर अनुपालन की रिपोर्ट, यदि कोई हो, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार और कार्यवाहियां किए जाने के लिए संवीक्षा हेतु अभिहित अधिकारी को भेजेगा ।”

(3) खाद्य विश्लेषक से संबंधित उपनियम 2.1.4 में, अर्हता से संबंधित खंड (1) में, उपखंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(i) विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या कृषि विज्ञान या पशु विज्ञान या मत्स्य विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा या खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण या डेरी प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या पशु विज्ञान में स्नातक या मास्टर या डाक्टरेट डिग्री रखता हो या रसायनज्ञ संस्था (भारत) द्वारा खाद्य विश्लेषक के वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करके रसायनज्ञ संस्था (भारत) का कोई सहयुक्त हो, या ऐसे प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य अर्हता रखता हो तथा जिसे खाद्य विश्लेषण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो;"

(4) उक्त नियमों में, "नमूना और विश्लेषण" से संबंधित नियम 2.4 में, -

(क) नमूना लेने की प्रक्रिया और विश्लेषण के लिए उसे भेजने की रीति से संबंधित उप-नियम 2.4.1 में, -

(i) खंड 7 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"7(क) नमूने के लेबल में खाद्य कारबार ऑपरेटर से संबंधित सभी जानकारी, जिसके अंतर्गत ब्रांड या व्यापार का नाम और और बार कोड भी है, उपयुक्त रुप से छिपाएगा और एक कोड नंबर देगा।"

(ii) खंड 8 में "जिनमें विश्लेषण के लिए नमूने हैं", शब्दों के पश्चात् "और पहले से पैकेज किए नमूनों" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड 9 में, उपखंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु सूक्ष्मजीवी विश्लेषण, निगरानी, आयात निकासी, शिकायत की जांच और खाद्य सुरक्षा आपात प्रत्युत्तर के लिए नमूनों के चार भागों की अपेक्षा, लागू नहीं होगी और ऐसी दशा में किन्हीं नमूनों के भागों की संख्या नीचे विनिर्दिष्ट सारणी के अनुसार होगी ।"

सारणी

क्रम सं.	नमूना लेने की परिस्थिति	नमूनों के भागों की संख्या
1.	सूक्ष्मजीवी विश्लेषण	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के उपाबंध ख में यथाविनिर्दिष्ट
2.	निगरानी	खाद्य प्राधिकारी या राज्य खाद्य प्राधकारी की निगारानी योजना के अनुसार
3.	आयात निकासी	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य आयात विनियम), 2017 में यथा विनिर्दिष्ट
4.	खाद्य सुरक्षा आपात घटनाएं	लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों की शर्त के अधीन रहते हुए, साक्ष्य सहित, नमूनों के भागों की संख्या अनिवार्य संख्या से कम होगी ।
5.	कोई अन्य मामला	लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों की शर्त के अधीन रहते हुए, साक्ष्य सहित, नमूनों के भागों की संख्या अनिवार्य संख्या से कम होगी ।

(ख) उपनियम 2.4.2 में, -

(i) खंड (2) में "केंद्रीय/राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "खाद्य प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (7) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"7. प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित या अंगीकार की गई विश्लेषण की पद्धति जिसके अंतर्गत एओएसी/(आईएसओ)मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन/पीयरसन/जैकब/इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड

अप्लाइड कैमिस्ट्री/खाद्य रसायन कूडैक्स /भारतीय मानक ब्यूरो/वुडमैन/विंटन-विंटन जोसलाइन भी हैं, उनका उपयोग खाद्य वस्तुओं के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा । तथापि, यदि विश्लेषण की रीति के लिए इन निर्देशिकाओं में कोई सिद्धांत उपलब्ध नहीं है, तब अंतरराष्ट्रीय रुप से मान्यता प्राप्त/विश्लेषण/विनियामक अभिकरणों द्वारा विश्लेषण के लिए विहित की गई विधिमान्य पद्धति को अंगीकृत किया जाएगा ।"

(5) अभिहित अधिकारी को अपील से संबंधित उपनियम 2.4.6 में, खंड 2 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"3. प्ररुप 11 में निर्दिष्ट प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा सम्यक रुप से हस्ताक्षरित विश्लेषण प्रमाणपत्र नमूना प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर अग्रेषित किया जाएगा:

परंतु यदि निर्दिष्ट प्रयोगशाला इसकी प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर नमूने का विश्लेषण करने में असमर्थ है तो निर्दिष्ट प्रयोगशाला अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को कारण देते हुए और विश्लेषण में लगने वाले समय को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचित करेगी ।"

(6) प्ररुप 5क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररुप 5 क

[नियम 2.4.1(3) देखिए]"

खाद्य कारोबार आपरेटर को नोटिस का प्ररुप

सेवा में,

....

....

महोदय/महोदया,

मैंने इस दिन नीचे निर्दिष्टानुसार.............................के लिए खाद्य विश्लेषक द्वारा विश्लेषण के लिए ....में स्थित ....के परिसर/दुकान/बाजार से खाद्य नमूने लिए हैं ।

खाद्य का विवरण:

बैच सं. , यदि उपलब्ध हो:

परीक्षण हेतु मानदंड

1. विशेष उत्पादों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानकों के अनुसार ।

2. किया जाने वाला कोई अतिरिक्त परीक्षण, यदि कोई है ।

स्थान............
तारीख............
(ह./-) खाद्य सुरक्षा अधिकारी/
प्राधिकृत अधिकारी

पता :
अभिस्वीकृति :
खाद्य कारोबार आपरेटर के हस्ताक्षर
साक्षी
साक्षी"

(7) प्ररुप 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररुप 6

(नियम 2.4.1(11) देखिए)"

खाद्य विश्लेषक को ज्ञापन

प्रेषक: ....
....
तारीख:................
सेवा में,
खाद्य विश्लषक
....
....

ज्ञापन

(नियम 2.4.1(11) देखिए)

1. नीचे वर्णित नमूना विश्लेषण के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा .... के अधीन ....को विश्लेषण के लिए भेजा जाता है ।

(i) कोड संख्या

(ii) संग्रहण की तारीख

(iii) विश्लेषण के लिए प्रस्तुत की गई वस्तुओं का नाम, प्रकृति

(iv) नमूने में अपमिश्रित परिरक्षक, यदि कोई हो, का नाम, प्रकृति और मात्रा

(v) नमूने की मात्रा और संख्या

(vi) कारणों सहित विशेष अनुरोध

(vii) कोई अतिरिक्त सुसंगत जानकारी

(viii) परीक्षण के मानदंड

(क) विशेष उत्पादों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानकों के अनुसार ।

(ख) किया जाने वाला कोई अतिरिक्त परीक्षण, यदि कोई है ।

2. इस ज्ञापन की एक प्रति और नमूने के पैकेट को सील किए जाने में प्रयुक्त सील की नमूना छाप पृथक रुप से डाक/कोरियर/दस्ती द्वारा परिदान के लिए भेजा जा रहा है । (जो लागू न हो उसे काट दें)

ह./ खाद्य सुरक्षा अधिकारी

पता ....

(8) प्ररुप 7क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररुप 7क

खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट

[नियम 2.4.2(5) और नियम 2.4.4(6) देखिए]

रिपोर्ट सं. ....

प्रमाणित किया जाता है कि मुझे ....(खाद्य विश्लेषक का नाम) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनिमय, 2006 (2006 का 34) के उपबंधों के अधीन सम्यक रुप से ....के लिए (स्थानीय क्षेत्र का नाम) नियुक्त किया गया है । मैंने क्षेत्रों के पदाविहित अधिकारी का ....से * ....का एक नमूना, जिसका कोड संख्या और क्रमसंख्या ....है ....तारीख ....को (नमूना लेने की तारीख) विश्लेषण के लिए प्राप्त किया है ।

आधान पर और प्राप्ति के बाह्य खोल पर मुद्रा की स्थिति निम्नानुसार थी :-

.... मैंने ....के विनिमय संख्यांक............के अधीन आने वाले ....का (नमूना का प्रवर्ग) नमूना प्राप्त किया है । नमूना विश्लेषण के लिए ठीक स्थिति में था और...........तारीख को (विश्लेषण आरंभ करने और पूरा करने की तारीख दें) विश्लेषण किया है तथा विश्लेषण का परिणाम नीचे दिया गया है/**नीचे दिए गए कारण से विश्लेषण के लिए ठीक स्थिति में नहीं थे :

कारण :

....

विश्लेषण रिपोर्ट

(i) नमूना वर्णन

....

(ii) भौतिक रुप

....

क्रम सं.	क्वालिटी के लक्षण	प्रयुक्त परीक्षण की पद्धति की प्रकृति	परिणाम	निम्नानुसार विहित मानक: (क) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनिमयों के उपबंधों के अनुसार (ख) स्वामित्व खाद्य हेतु लेबल घोषणा के अनुसार

राय***

..............तारीख को हस्ताक्षरित

(ह./-)
खाद्य विश्लेषक
पता......................

*भेजने वाले के ब्यौरे दें ।

** जो लागू न हो उसे काट दें ।

*** जब राय और निर्वचन सम्मिलित हों, तब वह दस्तावेज जिसके आधार पर राय या निर्वचन किए गए हैं ।

(9) प्ररुप 10 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररुप अंत:स्थापित करें:--

"प्ररुप 11

(नियम 2.4.6(3) देखिए)

निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण का प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र सं. ....

प्रमाणित किया जाता है कि नमूना, जिसकी संख्या ....जो ....का नमूना है/जो विश्लेषण के लिए ....(न्यायालय का नाम) से ....तारीख को ....ज्ञापन सं. .....के साथ प्राप्त हुआ था ।
आधान पर और प्राप्ति के बाह्य खोल पर मुद्रा की स्थिति निम्नानुसार थी :-

....

....

मुझे, ...(निदेशक का नाम) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के ....विनियम के अधीन आने वाले .... (खाद्य नमूने का प्रवर्ग ....का नमूना विश्लेषण के लिए प्राप्त हुआ है । नमूना विश्लेषण के लिए ठीक स्थिति में था और...........तारीख को (विश्लेषण आरंभ करने और पूरा करने की तारीख दें) विश्लेषण किया है तथा विश्लेषण का परिणाम नीचे दिया गया है/**नीचे दिए गए कारण से विश्लेषण के लिए ठीक स्थिति में नहीं थे :

कारण :

....

विश्लेषण रिपोर्ट

(i) नमूना वर्णन

....

(ii) भौतिक रुप

....

(iii) लेबल

....

क्रम सं.	गुणवत्ता विशेषताएं	विशेषताएं : निम्नानुसार विहित मानक प्रयुक्त परीक्षण की पद्धति का नाम (क) खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय, 2011 के अनुसार (ख) स्वामित्व खाद्य हेतु लेबल घोषणा के अनुसार (ग) उपरोक्त दोनों के लिए अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अनुसार
1		
2		
3		
4		
5		
6		

राय**

........स्थान

(हस्ताक्षर)

...............तारीख

निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला निदेशक

(हस्ताक्षर)

(मुहर)

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

** जब राय और निर्वचन सम्मिलित हों, तब वह दस्तावेज जिसके आधार पर राय या निर्वचन किए गए हैं ।

[फा.सं. 15025/13/2019-एफ.आर.]

डॉ मंदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 362(अ), तारीख 5 मई, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1516(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2023

G.S.R. 33(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by section 91 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the draft of certain rules, namely, the Food Safety and Standards (First Amendment) Rules, 2020, was published vide notification of the Government, of India, Ministry of Health and Family Welfare *vide* number G.S.R. 535(E), dated the 27th August, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 27th August, 2020;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 91 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Food Safety and Standards Rules, 2011, namely: -

1. (1) These rules may be called the Food Safety and Standards (First Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards Rules, 2011(hereinafter to be referred as the said rules), in rule 2.1, -

1. in sub-rule 2.1.2 relating to 'Designated Officer', -

(a) in clause 1 relating to qualification, -

(i) for sub-clause (i), the following clause shall be substituted, namely: -

"(i) The Designated Officer shall be a whole time Officer, not below the rank of Sub-Divisional Officer or equivalent and shall possess a Bachelor's or Master's or Doctorate degree in Science with chemistry as one of the subjects or shall possesses at least one of the educational qualifications prescribed for the Food Safety Officers under these rules or who has possessing not less than five years of experience as Food Safety Officers or has not less than seven years combined experience as Food Safety Officer and Food Inspector of which minimum four years as Food Safety Officer after commencement of the Food Safety and Standards Act:

Provided that the Commissioner of Food Safety may with the previous approval of the State Government, confer a Sub-Divisional Officer of the area, additional charge as Designated Officer for same period as may be specified by the Food Authority.

Provided further that the Chief Executive Officer may confer any officer of the Central Government with additional charge as Designated Officer for the area outside the jurisdiction of State Government or Union territory Government"

(ii) sub-clause (ia) shall be omitted;

(iii) in sub-clause (ii), the proviso shall be omitted;

(iv) in sub-clause (iii), in item (a), after the words "as Local Health Authority", the words "or appointed as Food Safety Officer having qualification prescribed under these rules" shall be inserted;

(b) in clause 2 relating to powers and duties, the sub-clause (iia) shall be omitted;

(2)in sub-rule 2.1.3 relating to 'Food Safety Officer',-

(a)in clause 1 relating to qualification, -

i. for sub-clause (i), the following shall be substituted, namely:-

"(*i*) a Bachelor's or Master's or Doctorate degree in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Agricultural Science or Veterinary Sciences or Bio-Chemistry or Microbiology or Chemistry or medicine from a recognized University, or"

ii. in sub-clause (ii), for the words "notified by the Central Government," the words "notified by the Food Authority with the prior approval of the Central Government," shall be substituted.

(b) in clause 4 relating to powers and duties, in sub-clause (iii), after item (d), the following sub-clause shall be inserted, namely: -

"(dd) examine the label of any article of food to be sent for analysis in accordance with the requirements of labelling, advertisement and claims as specified in the regulations made under the Food Safety and Standards Act and send the report of non-compliance, if found, to the Designated officer for scrutiny so as to take further proceedings as per the provisions of the Food Safety and Standards Act, or rules made thereunder."

(3) in sub-rule 2.1.4 relating to 'Food Analyst', in clause 1 relating to qualification, for sub-clause (i), the following shall be substituted, namely:-

"(i) holds a Bachelor's or Master's or Doctorate degree in Chemistry or Biochemistry or microbiology or Dairy Chemistry or Agriculture Science or Animal Science or Fisheries Science or Biotechnology or Food safety or Food Technology, Food and Nutrition or Dairy Technology or Oil Technology or Veterinary Sciences from a university established in India by law or is an associate of the Institution of Chemists (India) by examination in the section of Food Analysts conducted by the Institution of Chemists (India) or any other equivalent qualification notified by the Food Authority with the prior approval of the Central Government and has not less than three years' experience in the analysis of food; and"

(4) In the said rules, in rule2.4 relating to 'Sampling and analysis,-

(a) in sub-rule 2.4.1 relating to Procedure for taking sample and manner of sending it for analysis, -

(i) after clause 7, the following clause shall be inserted;

"7(a) Mask all the information relating to the Food Business Operator in the label of the sample including brand or trade name and bar code suitably and provide a code number."

(ii) in clause 8, after the words "containing the samples" the words "and prepackaged samples" shall be inserted.

(iii) in clause 9, after sub-clause (i), the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that, in case of samples drawn for microbiological analysis, surveillance, import clearance, investigation of complaint and food safety emergency response, the requirement of four parts of a samples shall not apply and number of parts of a samples for such condition shall be as specified in the following Table.

TABLE

S.No.	Condition of sampling	Number of parts of samples
1	Microbiological analysis	As specified in Appendix B of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011
2	Surveillance	As per the surveillance plan by the Food Authority or State Food Authority.
3	Import clearance	As specified in the Food Safety and Standards (Food import) Regulations, 2017.
4	Food safety emergency incidents	Less than the mandated number of parts of the sample subject to reasons along with the evidence to be recorded in writing.
5	Any other cases	Less than the mandated number of parts of the sample subject to reasons along with the evidence to be recorded in writing"

(b) in sub-rule 2.4.2,-

(i)in clause (2)for "Central/State Government," the words " Food Authority"shall be substituted.

(ii)for clause 7, the following shall be substituted, namely: -

"7. The manual of the method of analysis, as amended or adopted by the Authority from time to time, shall be used for analysing the samples of food articles, provided that in case the method for analysing any parameter is not available in the manual, the Food Laboratory may adopt a validated method of analysis prescribed by AOAC/ International Organization for Standardization (ISO) / Pearson's/ Jacob/ International Union of Pure and Applied Chemistry/ Food Chemicals CODEX/ Bureau of Indian Standards/ Woodmen/ Winton-Winton/ Joslyn or any other internationally recognized regulatory agencies.".

(5) in sub-rule 2.4.6 relating to Appeal to the Designated Officer, after clause 2, the following clause shall be inserted, namely: -

"3. The certificate of analysis in the Form XI duly signed by the Director of the Referral Laboratory shall be forwarded within fourteen days of receipt of sample :

Provided that in case the Referral Laboratory is unable to analyse the sample within fourteen days of its receipt, the Referral Laboratory shall inform the Designated Officer and the Commissioner of Food Safety giving reasons and specifying the time to be taken for analysis."

(6) for Form VA , the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM V A

(See rule 2.4.1. (3))

Form of Notice to the Food Business Operator

To ………………..

……………….

Dear Sir/s/ Madam:

I have this day taken the samples of food from premises/shop/market of ……………….situated at ………………..as specified below to have the same analysed by the Food Analyst for _______.

Details of food:

Batch number if available:

Parameter to be tested:

1. As per the Food Safety and Standards Authority of India Standards for the specific products

2. Any additional test to be performed if any

Place: (Sd/-) Food Safety Officer/ Authorized Officer.

Date:

Address:

Acknowledgement:

Sign of Food Business Operator

Witnesses

Witnesses"

(7) for Form VI , the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM VI

(See rule 2.4.1(11))

MEMORANDUM TO FOOD ANALYST

From: ……………..   Date: _____
……………..

To
Food Analyst
………………
……………..

MEMORANDUM
(See rule 2.4.1(11))

1. The sample specified below is being forwarded herewith for analysis under ___ of ___ of section ____ of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006).
(i) Code Number
(ii) Date of collection
(iii) Name, Nature of articles submitted for analysis
(iv) Name, Nature and quantity of preservative, if any, added to the sample.
(v) quantity and number of sample
(vi) Special request with reason
(vii)any additional relevant information
(viii) Parameter to be tested (a) As per the Food Safety and Standards Authority of India Standards for the specific products
(b) Any additional test to be performed if any

2. A copy of this memo and specimen impression of the seal used to seal the packet of sample are being forwarded separately by post or courier or hand delivery (strike out whichever is not applicable)

(Sd/) Food Safety Officer Address:
Address:"

(8) for Form VII A, the following Form shall be substituted, namely:-

"Form VII A

Report of the Food Analyst

[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4 (6)]

Report No._______.

Certified that I ___________ (name of the Food Analyst) duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for _____ (name of the local area) received from _______* a sample of ____, bearing Code number and Serial Number _____ of Designated Officer of _____ area* on_________(date of receipt of sample) for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:

____

I found the sample to be ……. (category of the sample) falling under Regulation No.____ of ___________________________. The sample **was in a condition fit for analysis and has been analysed on _____ (give date of starting and completion of analysis) and the result of its analysis is given below/** was not in a condition fit for analysis for the reason given below:

Reasons:

……………………………………………….........................

....

Analysis report

(i) Sample Description

……………………………….

(ii) Physical Appearance

……………………………….

Sl. No.	Quality characteristics	Nature of method of test used	Result	Prescribed standards as per a. As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder b. As per label declaration for proprietary food
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Opinion***

Signed this _____ day of ______ 20

(Sd/-) Food Analyst.

Address:

* Give the details of the senders

** Strike out whichever is not applicable

***When opinion and interpretation are included, document the basis upon which the opinions or interpretations have been made.

(9) After Form X , the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM XI

(See rule2.4.6(3))

CERTIFICATE OF ANALYSIS BY THE REFERRAL FOOD LABORATORY

Certificate No. …………………….

Certificate that the sample , bearing number ……..purporting to be a sample/of ……….. was received on ………….. with Memorandum No. ……. Dated ………….. From ……… [Name of the Court] ………… for analysis. The condition of seals on the container and the outer covering on the receipt was as follows: ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

I …………….. (name of the Director)_ …………….. found the sample to be ……………….. (Category of food sample) ……………… falling under Regulation No. ……….. of Food Safety and Standards(Food Products and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on ………….. (Give date of starting and completion of analysis) ……………… and the result of its analysis is given below /*was not in a condition fit for analysis for the reasons given below:—

Reason: —
………………………………………………………………………………………

Analysis Report: —

(i) Sample Description: — ………………………………………………………………………………

(ii) Physical Appearance: — ……………………………………………………………………………….

(iii) Label: — ……………………………………………………………………

Sl.No.	Quality Characteristics	Characteristics Name of the Method of the test used Results Prescribed Standards as per:- (a) As per Food Safety and Standards (Food Products and Food Additive) Regulations, 2011 (b) As per label declaration for proprietary foods (c)As per the provisions of the Act and Regulations, for both above
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Opinion **
Place:
(Signature)
Date: Director Referral Food Laboratory

(Seal)

* Strike out whichever is not applicable.
** When opinion and interpretation are included, document the basis upon which the opinions/interpretations have been made.

[F. No.P.15025/13/2019-FR]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 362(E), dated the 5th May, 2011 and last amended vide notification number G.S.R. 1516(E), dated the 13th December, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.20 22:49:42 +05'30'